

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 333]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 20, 2014/कार्तिक 29, 1936

No. 333]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 20, 2014/KARTIKA 29, 1936

भारतीय स्टेट बैंक

(सहयोगी एव अनुषंगी समूह)

अधिसूचना

मुंबई, 16 अक्टूबर, 2014

ए एण्ड एस क्र. 05/2014-15.—भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 29 (1) के अनुसार, भारतीय स्टेट बैंक ने, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर के निदेशक मंडल और भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करके तथा भारत सरकार से अनुमोदन के बाद, श्री ज्योति घोष को स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर के प्रबंध निदेशक पद पर, पद कार्य ग्रहण तिथि से 31 अक्टूबर 2016, जो उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख है, तक की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया है।

अरुंधति भट्टाचार्य, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/असा./39/14]

STATE BANK OF INDIA

(ASSOCIATES AND SUBSIDIARIES GROUP)

Mumbai, the 16th October, 2014

NOTIFICATION

A&S No. 05/2014-15.—In terms of Section 29(1) of State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, the State Bank of India, after consulting the Board of Directors of State Bank of Bikaner & Jaipur and the Reserve Bank of India and with the approval of Government of India, have appointed Shri Jyoti Ghosh as Managing Director of State Bank of Bikaner & Jaipur from the date of his assuming charge of the post and upto 31st October, 2016, i.e. the date of his superannuation from the Bank or until further orders, whichever is earlier.

ARUNDHATI BHATTACHARYA, Chairman

[ADVT. III/4/Exty./39/14]